Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

Original Article

सिंधु जल संधि (1960) एक समकालीन अवलोकन

डॉ. प्रकाश चन्द्र दास
विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, रमा देवी बाजला महिला महाविद्यालय,
देवघर सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका झारखंड
Email: pcdas.deoghar@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2026-180243
ISSN: 2230-9578
Volume 18
Issue 2(A)
Pp. 215-220
February - 2026

Submitted: 19 Jan. 2026
Revised: 29 Jan. 2026
Accepted: 14 Feb. 2026
Published: 28 Feb. 2026

शोध–सार

सिंधु जल संधि (1960) भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों के बँटवारे से संबंधित एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसे विश्व बैंक की मध्यस्थता से संपन्न किया गया था। यह संधि सिंधु नदी प्रणाली की छह प्रमुख नदियों के जल उपयोग को स्पष्ट रूप से विभाजित करती है, जिसमें पूर्वी नदियाँ रावी, ब्यास और सतलुज भारत को तथा पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब मुख्यतः पाकिस्तान को आवंटित की गई हैं। इस संधि का उद्देश्य दोनों देशों के बीच जल विवाद को कम करना और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना था। समकालीन परिप्रेक्ष्य में, सिंधु जल संधि कई नई चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी हिमनदों का तेजी से पिघलना, अनियमित मानसून, बढ़ती जनसंख्या और कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रों में जल की बढ़ती माँग ने जल प्रबंधन को जटिल बना दिया है। इसके अतिरिक्त, भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर निर्मित जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान की आपत्तियाँ और बार–बार उठने वाले तकनीकी विवाद संधि की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। हालाँकि, यह संधि अब तक भारत–पाक संबंधों के तनावपूर्ण दौर में भी बनी रही है, जो इसकी संस्थागत मजबूती और विवाद निवारण तंत्र की सफलता को दर्शाती है। वर्तमान परिस्थितियों में, संधि की मूल भावना को बनाए रखते हुए पारदर्शिता, तकनीकी सहयोग और संवाद को बढ़ावा देना आवश्यक है। बदलते पर्यावरणीय और भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, सिंधु जल संधि का समकालीन अवलोकन यह संकेत देता है कि सहयोगात्मक जल कूटनीति ही दक्षिण एशिया में दीर्घकालिक शांति और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

मुख्य बिन्दुः *सिंधु जल संधि, भारत–पाकिस्तान संबंध, जल विवाद, जल कूटनीति, हिमालयी नदियाँ, जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय संधि, सिंधु नदी प्रणाली*

परिचय

सिंधु जल संधि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच संघर्ष–समाधान का एक सफल उदाहरण माना जाता है, जो अन्यथा आपसी दुश्मनी में उलझे हुए थे। संधि के प्रति यह अनुकूल दृष्टिकोण भारत और पाकिस्तान दोनों में व्यापक रूप से साझा किया जाता है, लेकिन संधि में जल–आवंटन के मामलों को लेकर दोनों देशों में कुछ असंतोष है। इसके अलावा, संधि के संचालन में कई मतभेद रहे हैं।[1] क्या हमें इसे सफलता या विफलता मानना चाहिए? संधि ने जल–बंटवारे के विवाद को सुलझा लिया है, और यह चार युद्धों से बच गई है। इस अर्थ में इसे एक सफलता माना जाना चाहिए। नदी प्रणाली को दो खंडों में विभाजित करना शायद सबसे अच्छा काम नहीं था। बेहतर तरीका यह हो सकता था कि दोनों देश संयुक्त रूप से पूरी प्रणाली का एकीकृत और समग्र तरीके से प्रबंधन करें। हालाँकि, विभाजन की परिस्थितियों और दो नवगठित देशों के बीच कठिन संबंधों को देखते हुए, यह उम्मीद करना भोलापन होगा कि ऐसा संयुक्त, एकीकृत, सहकारी दृष्टिकोण काम करेगा यदि सर्वोत्तम विकल्प उपलब्ध न हो, तो हमें दूसरे सर्वोत्तम विकल्प से ही संतोष करना पड़ता है संधि का यही अर्थ है।[2] यह संधि मूलतः एक विभाजन समझौता है, न कि अंतर–देशीय सहयोग का कोई व्यापक साधन। भूमि का विभाजन 1947 में हुआ और जल का विभाजन 1960 में। जल बंटवारे का मामला तो सुलझ गया है, लेकिन पश्चिमी नदियों पर भारतीय परियोजनाओं की कुछ डिजाइन और इंजीनियरिंग विशेषताओं को लेकर मतभेद लगातार बने हुए हैं।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
डॉ. प्रकाश चन्द्र दास, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, रमा देवी बाजला महिला महाविद्यालय, देवघर सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका झारखंड

How to cite this article:
दास, . प्रकाश . चन्द्र. (2026). सिंधु जल संधि (1960) एक समकालीन अवलोकन. Journal of Research & Development, 18(2(A)), 215–220. https://doi.org/10.5281/zenodo.18949779

Quick Response Code:

Website:
https://jrdrvb.org/

DOI:
10.5281/zenodo.18949779

OPEN ACCESS

संधि भारत को इन नदियों के जल के सीमित उपयोग की अनुमति देती है, लेकिन यह उपयोग पाकिस्तान के हितों की रक्षा के लिए काफी सख्त तकनीकी शर्तों और प्रावधानों के अधीन है।[3] इस प्रकार, संधि पश्चिमी नदियों पर भारतीय परियोजनाओं विशेषकर बड़ी परियोजनाओं के प्रति उदार और प्रतिबंधात्मक दोनों है। भारत उदार प्रावधानों का पूर्ण उपयोग करने का प्रयास करता है, जबकि पाकिस्तान प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का प्रयास करता है। इस प्रकार दोनों देश विपरीत दिशाओं में खींचतान कर रहे हैं। इससे सिंधु आयोग में निरंतर खींचतान चलती रहती है।

सिंधु नदी प्रणाली के निचले तटवर्ती क्षेत्र के रूप में, पाकिस्तान भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को लेकर चिंतित रहता है, क्योंकि इनसे भारत को जल प्रवाह कम करने या संचित जल को छोड़कर बाढ़ लाने में मदद मिल सकती है। पाकिस्तान की आपत्तियां आंशिक रूप से जल संबंधी और आंशिक रूप से सुरक्षा संबंधी हैं। भारत का कहना है कि सुरक्षा संबंधी आशंकाएं निराधार हैं, क्योंकि भारत स्वयं को बाढ़ में डुबो बिना पाकिस्तान को बाढ़ में नहीं डुबो सकता। पाकिस्तान को जल प्रवाह कम करने की उसकी क्षमता बहुत सीमित है। और पिछले 65 वर्षों का रिकॉर्ड ऐसी किसी भी आशंका का कोई आधार नहीं देता। इन मतभेदों का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू यह है कि ये परियोजनाएँ जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं या भविष्य में स्थित होंगी। पाकिस्तान शायद ही भारतीय परियोजनाओं को उस क्षेत्र में सुविधाजनक बनाने के लिए उत्सुक होगा जिसे वह विवादित क्षेत्र मानता है।[4] संधि को रद्द करने की वकालत, जो कभी–कभी कुछ लोगों द्वारा की जाती है, गंभीर चर्चा के योग्य नहीं है। क्या संधि पर पुनर्विचार होना चाहिए, जैसा कि अक्सर दोनों देशों में आग्रह किया जाता है? दोनों देशों के दृष्टिकोण से, पहले से बेहतर परिणाम की कल्पना करना कठिन है। दुर्भाग्य से, जल बंटवारा एक शून्य–योग खेल है। एक पक्ष दूसरे का हिस्सा कम किए बिना अपना हिस्सा नहीं बढ़ा सकता। शायद सबसे अच्छा रास्ता यही होगा कि स्थिति को यथावत रखा जाए और आशा की जाए कि राजनीतिक संबंधों में सुधार के साथ, संधि के संचालन के प्रति दोनों पक्षों में भविष्य में अधिक तर्कसंगत और रचनात्मक भावना प्रबल होगी। कुछ वर्ष पहले तक, जबकि पश्चिमी नदियों पर कुछ भारतीय परियोजनाओं और सिंधु संधि के प्रावधानों के अनुरूप होने के बारे में बहस चल रही थी, पाकिस्तान में किसी ने भी पानी को अपने देश और भारत के बीच एक प्रमुख मुद्दा नहीं माना था। 2010 की शुरुआत से ही पाकिस्तान दोनों देशों के बीच पानी को एक बड़ा मुद्दा बनाकर पेश कर रहा है, बल्कि इसे कश्मीर जितना ही महत्वपूर्ण, या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, एक नया ''मुख्य मुद्दा'' बता रहा है। उसने ऐसा क्यों किया? इसका हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं।[5] पानी के मुद्दे पर जनता का ध्यान केंद्रित करना एक शक्तिशाली लामबंदी का काम कर सकता है और जनता को सरकार और या सेना के पीछे एकजुट कर सकता है। पाकिस्तान सरकार शायद अपने देश के भीतर चल रहे अंतर–प्रांतीय जल बंटवारे के कड़वे विवादों से ध्यान भटकाना चाहती है। पानी को एक नए मुख्य मुद्दे के रूप में उठाना, आतंकवाद पर भारत के लगातार ध्यान केंद्रित करने के जवाब में उठाया गया कदम भी हो सकता है।[6] यह व्यापक रूप से माना जाता है कि यदि पाकिस्तान को वर्तमान या आसन्न जल संकट का सामना करना पड़ता है, तो भारत उस स्थिति में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका भारत–पाकिस्तान संबंधों पर, यहां तक कि जन–स्तर पर भी, गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। पाकिस्तान में प्रचलित कुछ गलत धारणाओं को दरकिनार करते हुए, आइए ट्रैक II की बैठकों में पाकिस्तानी नागरिक समाज और शिक्षाविदों के विचारशील, सुशिक्षित सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई कुछ चिंताओं पर ध्यान दें, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। भारत द्वारा जलमार्ग परिवर्तन के संबंध में प्रचलित धारणाओं या गलत धारणाओं को पाकिस्तानी विद्वानों द्वारा पश्चिमी नदियों में जल प्रवाह में कमी के रुझान पर प्रकाशित शोध निष्कर्षों से अनजाने में ही बल मिलता प्रतीत होता है।[7] आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि इस कमी के लिए ऊपरी नदी क्षेत्र ही जिम्मेदार है। इसका एकमात्र समाधान यह है कि दोनों देशों के विशेषज्ञों द्वारा एक संयुक्त अध्ययन किया जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वास्तव में पश्चिमी नदियों में जल प्रवाह कम हुआ है या नहीं, और यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान की जा सके। पाकिस्तान में प्रचलित अन्य धारणाएँ ये हैं। कि सिंधु जल संधि में भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर बड़ी संख्या में परियोजनाओं के निर्माण की कोई परिकल्पना नहीं की गई थी। कि एक मामूली रियायत के रूप में दी गई इस छूट का भारत ने अनुचित रूप से दुरुपयोग किया है। और इस दुरुपयोग के कारण पश्चिमी नदियों पर भारत की प्रत्येक परियोजना संधि का उल्लंघन है।[8] ये आरोप संधि की गलत व्याख्या से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि संधि के विशाल अनुलग्नकों में स्पष्ट रूप से पश्चिमी नदियों पर भारत की प्रमुख परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है। जब तक भारत संधि के कड़े प्रतिबंधात्मक प्रावधानों का पालन करता है, तब तक उस पर संधि का दुरुपयोग करने या उल्लंघन करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। तीसरा मुद्दा जिस पर काफी चिंता व्यक्त की जा रही है, वह है पश्चिमी नदियों पर असंख्य परियोजनाओं का संचयी प्रभाव। भारत का तर्क हो सकता है कि यदि प्रत्येक परियोजना संधि के अनुरूप है, तो असंख्य परियोजनाओं के ''संचयी प्रभाव'' जैसी कोई बात ही नहीं हो सकती। हालांकि, इस मामले पर पाकिस्तानी आशंकाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत में कई लोग गंगा नदी पर असंख्य जलविद्युत परियोजनाओं के संचयी प्रभाव को लेकर चिंतित हैं, और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अध्ययन भी कराए गए हैं। जो बात गंगा पर लागू होती है, वही बात सिंधु नदी प्रणाली पर भी समान रूप से लागू होती है। इस मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यहां भी, दोनों देशों के विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त अध्ययन वांछनीय प्रतीत होता है। हाल के वर्षों में, संपूर्ण प्रणाली के समग्र, एकीकृत प्रबंधन, संयुक्त जलसंभर प्रबंधन आदि की मांग की गई है। ये विचार निर्विवाद हैं, लेकिन एक पूर्णतः भिन्न ''समग्र'' संधि के लिए बेहतर समय की प्रतीक्षा करनी होगी। वर्तमान चिंताएँ जैसे पर्यावरणीय प्रभाव, न्यूनतम या पारिस्थितिक प्रवाह आदि सिंधु प्रणाली पर भी उतनी ही लागू होती हैं जितनी अन्य प्रणालियों पर, और केवल इसलिए कि सिंधु संधि में इनका प्रावधान नहीं था, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।[9] संभवतः, पश्चिमी नदियों पर नियोजित प्रत्येक जलविद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किए जा रहे हैं। पर्यावरणीय प्रभाव सीमा पर ही सीमित नहीं होते। भारतीय पक्ष की कोई परियोजना सीमा पार भी प्रभाव डाल सकती है, और पाकिस्तानी पक्ष की कोई परियोजना–उदाहरण के लिए पाकिस्तान द्वारा नियोजित नीलम झेलम जलविद्युत परियोजना–सीमा के भारतीय पक्ष पर भी प्रभाव डाल सकती है।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन और सिंधु नदी प्रणाली में जल उपलब्धता पर इसके संभावित प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं, और दोनों देशों को इन पर तुरंत मिलकर काम करना शुरू कर देना चाहिए। जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं के दौरान दोनों देशों के बीच कुछ हद तक सहयोग रहा है, लेकिन यह केवल उत्सर्जन में कमी के सीमित मुद्दे तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे सिंधु जल संधि के दायरे में नहीं लाया जा सकता, बल्कि इसके लिए एक अलग प्रयास की आवश्यकता है।[10] संधि के संचालन के दौरान उत्पन्न हुए मतभेदों के लिए सहमतिपूर्ण समाधान खोजे जा सकते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच अस्थिर राजनीतिक संबंधों के कारण ये कठिन हो जाते हैं। इन संबंधों में सुधार और संधि का सुचारू संचालन परस्पर संबंधित हैं, और दोनों एक दूसरे को सुगम बनाएंगे। 1960 में जिन नई उभरती चिंताओं का अनुमान नहीं लगाया गया था–विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और जल संसाधनों पर इसका प्रभाव–उनके लिए संधि से परे अंतर–देशीय सहयोग की आवश्यकता है। नदियों के जल बंटवारे पर देशों के बीच समझौते और संधियाँ हमेशा से जटिल और विवादों से घिरी रही हैं। इनके दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच आपसी समझ, विश्वास और सहयोग आवश्यक है। हालांकि, तमाम बाधाओं के बावजूद, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि पिछले छह दशकों की शत्रुता के बावजूद कायम रही, यहाँ तक कि तब भी जब दोनों देशों ने चार युद्ध लड़े और पाकिस्तान की भारत के खिलाफ राज्य प्रायोजित आतंकवाद की निरंतर नीति के कारण संबंधों में गंभीर तनाव रहा। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद पहली बार, भारत ने पिछले दो वर्षों में कई बार स्थायी सिंधु आयोग के माध्यम से पाकिस्तान को अधिसूचनाएँ भेजीं या सीधे इस्लामाबाद को पत्र लिखकर संधि में संशोधन की मांग की। लेकिन, 22 अप्रैल–2025 पहलगाम पर हुए आतंकवादी हमले के बाद, भारतीय नेतृत्व ने एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के सभी रूपों का समर्थन और प्रायोजन स्थायी रूप से बंद करने तक संधि को ‘‘स्थगित’’ रखने का निर्णय लिया।[11]

सिंधु नदी बेसिन एक सभ्यतागत भूगोल है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से पहले और बाद के लोगों, कुषाणों, सिकंदर की विजयों और बाद के साम्राज्यों का घर रहा है। इसने दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषि और स्थानीय उपयोग के लिए पानी की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस नदी प्रणाली के भीतर नहरों का एक विशाल जाल बनाया गया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान, नदी बेसिन में कुछ नहरों का निर्माण किया गया, जिससे झेलम और चिनाब के अतिरिक्त जल को रावी नदी में स्थानांतरित किया जा सके। हालाँकि, अतिरिक्त नहरों और भंडारण सुविधाओं के निर्माण को लेकर ब्रिटिश भारत और रियासतों के बीच विवाद उत्पन्न हो गए। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के साथ यह विवाद और बढ़ गया, जहाँ नदी बेसिन को दो हिस्सों में बाँट दिया गया। जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध रूप से जबरन कब्जे से स्थिति और भी जटिल हो गई।[12]

सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर के साथ विवाद का समाधान हुआ। इस संधि पर 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। चूंकि वार्ता प्रक्रिया तत्कालीन विश्व बैंक के अध्यक्ष यूजीन ब्लैक द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए विश्व बैंक भी संधि के तहत एक हस्ताक्षरकर्ता और तृतीय–पक्ष मध्यस्थ बन गया। हालांकि इस संधि को दोनों राष्ट्रों के बीच नदी जल बंटवारे के सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में एक मील का पत्थर माना गया, लेकिन पाकिस्तान के प्रति संधि का अंतर्निहित पूर्वाग्रह एक विसंगति बना रहा, जिसे भारत ने पिछले छह दशकों से उदारतापूर्वक अनदेखा किया। पिछले दो वर्षों में, भारत ने ऐसे मुद्दों को उठाया है जिन पर संधि में स्पष्टीकरण या संशोधन की आवश्यकता है, जो बदलते जलवायु और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के साथ आवश्यक है। संधि पर हस्ताक्षर होने के समय से ही पाकिस्तान को छह नदियों वाली सिंधु प्रणाली के कुल जल का 80.52 प्रतिशत और पश्चिमी नदियों के लगभग 100 प्रतिशत जल प्राप्त होता रहा है। सिंधु प्रणाली की तीन छोटी नदियाँ भारत के लिए आरक्षित होने के कारण, भारत का हिस्सा कुल जल का केवल 19.48 प्रतिशत है। यह एक ऐसी जल–बंटवारे संधि है जिसे भारत ने इन सभी वर्षों में सबसे विवादास्पद, एकतरफा और असमान माना जा सकता है। भारत ने इस समझौते पर सहमति जताई, क्योंकि ऊपरी तटवर्ती राज्य होने के नाते, इससे पाकिस्तानी नेतृत्व को संतुष्ट रखने और यह प्रदर्शित करने के लिए कि वह अपनी भू–राजनीतिक रूप से बेहतर स्थिति का लाभ नहीं उठा रहा है, इस तरह के पक्षपात की अनुमति मिली। हालांकि, एक छोटे पड़ोसी के प्रति भारत की उदारता के लिए कृतज्ञता दिखाने के बजाय, पाकिस्तान ने संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों तक सीमित पहुंच मिलने पर भी लगातार शिकायत की है। भारत की तुलबुल नौवहन परियोजना इसका एक प्रमुख उदाहरण है। 1984 में शुरू हुई इस परियोजना का निर्माण 1987 में पाकिस्तान द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद रोक दिया गया था। पाकिस्तान का दावा था कि वुलर बैराज (जिसे वह तुलबुल परियोजना कहता है) अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण संधि के तहत अनुमत भंडारण सीमा से अधिक है। हालांकि भारत ने एक समझौता प्रस्ताव रखा, लेकिन पाकिस्तान ने अंततः परियोजना को अस्वीकार कर दिया। 1998, 2004, 2006–07 (समग्र संवाद के भाग के रूप में), 2011 और 2012 में आयोजित वार्ताओं के कई दौर पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के कारण विवाद को सुलझाने में विफल रहे। पिछले छह दशकों से पाकिस्तान इस बात पर अड़ा हुआ है कि भारत को उन पश्चिमी नदियों के जल का भी उपयोग करने की अनुमति न दी जाए जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण अधिनियम ने अनुमति दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ‘‘पश्चिमी नदियों के विद्युत परियोजनाओं से लगभग 20,000 मेगावाट की अनुमानित विद्युत क्षमता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन अब तक केवल 3,482 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं ही निर्मित की गई हैं जिन पर पाकिस्तान ने परियोजनाओं के डिजाइन को लेकर आपत्ति जताई है, क्योंकि पाकिस्तानी आरोप के अनुसार, ये परियोजनाएं का उल्लंघन करती हैं। पाकिस्तान ने भारत को उन सभी परियोजनाओं को छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत आपत्तियां उठाई हैं जिन्हें भारत IWT के अनुसार बना सकता था। हालांकि, पाकिस्तान का व्यापक उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में किसी भी विकासात्मक गतिविधि को रोकना रहा है, क्योंकि इससे भारत द्वारा जम्मू–कश्मीर के लोगों के साथ लगातार भेदभाव करने के उनके झूठे आरोप का खंडन होगा। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ऊपरी तटवर्ती राज्य होने के बावजूद, भारत ने एक सहयोगी और समझदार पड़ोसी की भूमिका निभाई है, और सिंधु जल संधि द्वारा निर्धारित शर्तों

का पालन करते हुए पाकिस्तानी तकनीकी प्रतिनिधिमंडलों को भारतीय परियोजना स्थलों का दौरा करने और उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान करने की अनुमति दी है। दशकों तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध आतंकवाद को प्रमुख राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल किए जाने के बावजूद इस नियम को पालन किया गया। दशकों से, भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से बुरी तरह पीड़ित रहा है। इसने अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ बातचीत और संवाद में पाकिस्तान से उत्पन्न इस खतरे के विभिन्न आयामों को उजागर किया है। इस दिशा में हमारे प्रयास सीमित रूप से ही सफल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान प्रमुख वैश्विक शक्तियों के एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में खुद को लगातार पुनर्जीवित कर रहा है। पिछले डेढ़ दशक में, खासकर 26/11 के बाद से, भारत को कड़े सबक सीखने पड़े हैं और अब पाकिस्तान के प्रति उसका रुख बदल गया है। उसने अपनी पुरानी झिझक को त्याग दिया है और उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हवाई हमले और अब पहलगाम हमलों के साथ दृढ़ संकल्प दिखाया है। पहलगाम हमले के बाद, भारत ने अपने पुराने व्यवहार से हटकर अंतर्राष्ट्रीय सिन्धु जल संधि युद्ध संधि को निलंबित करने का फैसला किया। यह संधि तीन युद्धों और पिछले चार दशकों में पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूहों और व्यक्तियों द्वारा किए गए हजारों छद्म हमलों के बावजूद कायम रही थी।[13] यह माना गया कि पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान कूटनीति की भाषा नहीं समझता और न ही वह उस भूमिका को समझता है जो उसे 1950 के दशक से अब तक एक पड़ोसी के रूप में निभानी चाहिए थी। यह निलंबन पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा झटका था क्योंकि उसने मान लिया था कि भारत कभी भी IWT को निलंबित या उससे बाहर निकलने का कदम नहीं उठाएगा। क्या निलंबन रद्द या वापस लिया जाएगा या भारत पूरी तरह से समझौते से बाहर निकलने का विकल्प चुनेगा, यह अभी तक अटकलों का विषय बना हुआ है। जबकि भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी बना हुआ है, ''स्थगन'' का वर्तमान कदम पाकिस्तान पर दबाव डालने और उसे अपने गलत व्यवहार को बदलने के लिए चेतावनी देने हेतु भारत के पास उपलब्ध एक विश्वसनीय कदम था। चूंकि पाकिस्तान ने पश्चिमी नदियों पर किसी भी वैध निर्माण की अनुमति नहीं दी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन समिति (आईडब्ल्यूटी) ने अनुमति दी थी, इसलिए निलंबन का अल्पावधि में कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा। निलंबन के साथ ही, भारत ने जल विज्ञान संबंधी डेटा साझा करना बंद कर दिया है, जो निचले तटीय राज्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल विज्ञान संबंधी डेटा में जल प्रवाह, बर्फ पिघलने और नदी के बहाव की जानकारी शामिल होती है। भारत पश्चिमी नदियों, सिंधु, झेलम और चिनाब के उपयोग पर किसी भी प्रतिबंध से बाध्य नहीं है। यदि निलंबन जारी रहता है, तो भारत नए भंडारण या जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण या विस्तार करने और जल प्रवाह को अधिक स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने में सक्षम होगा। भारत को भविष्य में मौजूदा प्रवाह के किसी भी संयुक्त निरीक्षण के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति देने से भी इनकार कर देना चाहिए। भारत के पास भविष्य में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास या सतलुज नदियों में पानी के प्रवाह को नहरों और चौनलों में मोड़कर या अपने मौजूदा बांधों और जलाशयों में भंडारण स्तर बढ़ाकर सीमित करने या रोकने का विकल्प है। मौजूदा बुनियादी ढांचे में संशोधन करने से ही भारतीय कृषि और सिंचाई को बहुत लाभ होगा। उदाहरण के लिए, भारत रावी नदी पर बने ऊपरी बारी दोआब नहर में पानी का प्रवाह रोक सकता है या कम कर सकता है। यह रावी–ब्यास नदी प्रणाली पर बने सबसे पुराने बांधों में से एक है, जिसका निर्माण स्वतंत्रता से पहले हुआ था।[14] भारत किशनगंगा में जल भंडारण से संबंधित मौजूदा समझौतों की अनदेखी करते हुए रैटल जलविद्युत परियोजना के निर्माण और जल मोड़ को आगे बढ़ा सकता है, जिससे नीलम और झेलम नदियों के प्रवाह पर प्रभाव पड़ेगा। किशनगंगा परियोजना 2018 से चालू है, जबकि रैटल परियोजना का निर्माण 2022 में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। पाकिस्तान ने रैटल और किशनगंगा जलविद्युत परियोजना का मुद्दा हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) में उठाया है, जो संधि के ''स्थगन'' होने पर इस मामले से पीछे हट सकता है। जैसा कि एक प्रख्यात भारतीय विशेषज्ञ ने बताया है, संधि के अभाव में, भारत किशनगंगा जलाशय और जम्मू–कश्मीर की पश्चिमी नदियों पर स्थित अन्य परियोजनाओं के लिए ''जलाशय की सफाई'' संबंधी प्रतिबंधों से बाध्य नहीं होगा। ये प्रतिबंध वर्तमान में सिंधु जल संधि के तहत लागू हैं। सफाई से भारत को अपने जलाशयों से गाद हटाने की सुविधा मिलती है, लेकिन बाद में उन्हें फिर से भरने में कई दिन लग सकते हैं। संधि के अनुसार, यह भरना अगस्त में, मानसून के चरम मौसम के दौरान होना अनिवार्य है। हालांकि, यदि समझौते को स्थगित कर दिया जाता है, तो भारत किसी भी समय जलाशयों को फिर से भरने के लिए स्वतंत्र होगा। जलवायु परिवर्तन के चलते उत्तरी भारत और पाकिस्तान सहित संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र में मौसम की चरम स्थितियाँ देखी जा रही हैं। बर्फ पिघलने और वार्षिक वर्षा की मात्रा में बदलाव आ रहा है, जिसका इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में जल की मात्रा पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है।[15] इससे कृषि विकास और आजीविका भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि इस क्षेत्र के अधिकांश प्रमुख शहर इन प्रमुख नदी घाटियों के जाल पर विकसित हुए हैं या उन पर निर्भर हैं। बदलते हालातों का आकलन और अध्ययन करना, बदलती मांगों के अनुरूप ढलना और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्थायी कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि भौगोलिक स्थिति पर न्यूनतम या न के बराबर प्रभाव पड़े। भारत ने संधि में संशोधन का अनुरोध किया था ताकि इन परिवर्तनों को अपनाया जा सके, लेकिन पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। इस क्षेत्र के लोगों के कल्याण, विकास और उन्नति के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यह संधि एक असाधारण मामला है जिसमें भारत, जो एक ऊपरी तटवर्ती राज्य है, ने स्वेच्छा से पाकिस्तान, जो एक निचले तटवर्ती राज्य है, को चार गुना से अधिक जल देने का त्याग किया है और अच्छे पड़ोसी संबंधों के लिए स्वयं पर जल उपयोग संबंधी कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। सिंधु बेसिन में उपलब्ध कुल जल का लगभग 79 प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तान को आवंटित किया गया था, जबकि भारत, जिसका बेसिन क्षेत्र बड़ा है और जो ऊपरी तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है, को केवल 21 प्रतिशत ही आवंटित किया गया था। इसके कारण भारत को आर्थिक और कृषि विकास दोनों ही दृष्टि से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जनसंख्या, जल निकासी क्षेत्र और कृषि योग्य भूमि की स्थिति के आधार पर भारत सिंधु बेसिन के जल में कम से कम 42.8 प्रतिशत हिस्सेदारी का हकदार होता। यह भलीभांति जानते हुए भी कि अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण संधि उनके लिए लाभकारी है, हालांकि पाकिस्तान ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया, उसकी रणनीति कभी भी मौजूदा संधि पर पुनर्विचार, समीक्षा या पुनर्विवेचना

करने की नहीं रही। इसके बजाय, उसने भारत पर दबाव बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का लाभ उठाने की कोशिश की। उसने संधि की व्याख्या अपने लाभ के लिए की, न कि पारस्परिक लाभ के लिए।[16] 1960 की अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण संधि ने विभाजन के दौरान पाकिस्तान द्वारा प्राप्त लाभप्रद स्थिति को और मजबूत किया और पाकिस्तान इस बात से भलीभांति अवगत है। गौरतलब है कि यह संधि असामान्य रूप से कठोर बनी रही, क्योंकि इसमें आवधिक समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था और न ही कोई निकास खंड था। सिंधु जल संधि का वर्तमान मॉडल, जो बिना शर्त भरोसे पर आधारित है और भारत पर ही सारी बाध्यताएँ डालता है, बिना किसी संबंधित लाभ की पेशकश किए, अप्रभावी साबित हुआ है और इसे बदलने की आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति में, ''सद्भावना और मित्रता'' की भावना का अभाव है, जो सिंधु जल संधि की नींव थी। जहाँ लश्कर–ए–तैबा और जैश–ए–मोहम्मद के आतंकवादियों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है, वहीं पाकिस्तान में मौजूद वरिष्ठ सेना अधिकारियों, राजनीतिक हस्तियों और पुलिस कर्मियों, जो आतंकवादी हैं, को अब गैर–राज्य अभिकर्ता नहीं बल्कि राज्य अभिकर्ता माना जा सकता है।[17] आतंकवाद ऑपरेशन सिंदूर (6 मई–2025) का मूल कारण रहा है और आतंकवाद के लिए पाकिस्तानी समर्थन बिना रुके जारी है, जिसके लिए नदी जल बंटवारे और मौजूदा समझौतों पर पुनर्विचार करने के लिए इस तरह के मौलिक परिवर्तन की शुरुआत की गई है और यह उचित बना हुआ है।

साहित्य की समीक्षा

सिंधु जल संधि (1960) पर उपलब्ध साहित्य बहुआयामी है, जिसमें ऐतिहासिक, कानूनी, राजनीतिक, पर्यावरणीय तथा कूटनीतिक दृष्टिकोणों से इस संधि का विश्लेषण किया गया है। विद्वानों ने इसे न केवल भारत–पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में बल्कि अंतरराष्ट्रीय जल कूटनीति के एक आदर्श मॉडल के रूप में भी अध्ययन किया है। प्रारंभिक साहित्य मुख्यतः संधि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसके निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित है। डैनियल हाइनर और रेमंड वेस्ट जैसे विद्वानों ने विभाजन के बाद उत्पन्न जल संकट और विश्व बैंक की मध्यस्थ भूमिका का विस्तृत वर्णन किया है। इन अध्ययनों में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सिंधु जल संधि राजनीतिक अविश्वास के वातावरण में भी सहयोग की एक सफल मिसाल है। कानूनी दृष्टिकोण से बी.जी. वर्मा, आर.एस. शर्मा तथा अंतरराष्ट्रीय जल कानून पर कार्य करने वाले विद्वानों ने संधि के प्रावधानों, विवाद निवारण तंत्र और स्थायी सिंधु आयोग की भूमिका का विश्लेषण किया है। इन अध्ययनों में यह स्पष्ट किया गया है कि संधि में विवाद समाधान के लिए बहु–स्तरीय व्यवस्था तकनीकी, मध्यस्थता और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसकी संस्थागत मजबूती को दर्शाती है। राजनीतिक और सामरिक विश्लेषण से संबंधित साहित्य में सुमित गांगुली, हसन अब्बास और सी. राजा मोहन जैसे विद्वानों के कार्य उल्लेखनीय हैं। इनके अनुसार, सिंधु जल संधि ने भारत–पाक संबंधों में कई युद्धों और राजनीतिक तनावों के बावजूद निरंतरता बनाए रखी है, जो इसे अन्य द्विपक्षीय समझौतों से अलग बनाती है। हालांकि, कुछ विद्वानों का मत है कि पाकिस्तान ने कई बार जल मुद्दे का राजनीतिकरण किया है।

समकालीन साहित्य में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रभावों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जॉन ब्रिस्को और उमर फारूक जैसे शोधकर्ताओं ने हिमालयी हिमनदों के पिघलने, जल प्रवाह में अस्थिरता और भविष्य की जल सुरक्षा पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया है। उनका तर्क है कि संधि में जलवायु परिवर्तन जैसे नए कारकों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है। भारतीय दृष्टिकोण से किए गए अध्ययनों में यह रेखांकित किया गया है कि भारत संधि के अंतर्गत अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाया है, विशेषकर पश्चिमी नदियों पर जलविद्युत क्षमता के संदर्भ में। वहीं पाकिस्तानी साहित्य में संधि को उसकी कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए अनिवार्य बताया गया है और किसी भी संशोधन को संदेह की दृष्टिकोण से देखा गया है। समग्र रूप से उपलब्ध साहित्य यह संकेत देता है कि सिंधु जल संधि अब भी प्रासंगिक है, किंतु बदलते पर्यावरणीय, तकनीकी और राजनीतिक परिदृश्य में इसके पुनर्मूल्यांकन और व्याख्या की आवश्यकता है। साहित्य समीक्षा से यह भी स्पष्ट होता है कि अधिकांश अध्ययनों में समकालीन जलवायु संकट और सहयोगात्मक जल प्रबंधन पर और अधिक अनुभवजन्य शोध की आवश्यकता है, जिसे वर्तमान अध्ययन में संबोधित करने का प्रयास किया जायेगा।

निष्कर्ष

सिंधु जल संधि (1960) भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों के बँटवारे से संबंधित न केवल एक ऐतिहासिक समझौता है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय जल कूटनीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। पिछले छह दशकों से अधिक समय तक यह संधि दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव, सैन्य संघर्ष और कूटनीतिक मतभेदों के बावजूद प्रभावी बनी रही है, जो इसकी संस्थागत मजबूती और व्यवहारिकता को प्रमाणित करता है। समकालीन परिप्रेक्ष्य में, हालांकि, सिंधु जल संधि अनेक नई और जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन, हिमालयी हिमनदों का तीव्र पिघलना, अनियमित मानसून, जनसंख्या वृद्धि तथा कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में जल की बढ़ती माँग ने जल प्रबंधन को पहले की तुलना में अधिक संवेदनशील बना दिया है। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी नदियों पर भारत द्वारा विकसित की जा रही जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर उत्पन्न विवाद यह दर्शाते हैं कि संधि की व्याख्या और क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं आपसी विश्वास की निरंतर आवश्यकता है।[18] इसके बावजूद, सिंधु जल संधि को समाप्त करने या एकतरफा रूप से नकारने की अपेक्षा इसे संवाद और सहयोग के माध्यम से सुदृढ़ करना अधिक व्यावहारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण होगा। बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों और तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए संधि के प्रावधानों की व्याख्या में लचीलापन तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। स्थायी सिंधु आयोग को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाकर तकनीकी मतभेदों का समाधान प्रारंभिक स्तर पर ही किया जा सकता है। अंततः, सिंधु जल संधि का समकालीन अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि जल केवल संसाधन नहीं, बल्कि सहयोग और शांति का माध्यम भी बन सकता है। यदि भारत और पाकिस्तान परस्पर विश्वास, पारदर्शिता और साझी जिम्मेदारी की भावना के साथ आगे बढ़ें, तो यह संधि दक्षिण एशिया में सतत विकास, क्षेत्रीय स्थिरता और दीर्घकालिक शांति की आधारशिला बनी रह सकती है।

संदर्भ–सूची

1. गांगुली, सुमित, (2016) भारत–पाकिस्तान संबंधः संघर्ष और सहयोग. नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। पृ.–11
2. मोहन, सी. राजा (2015), दक्षिण एशिया में जल कूटनीति. नई दिल्लीः पेंगुइन इंडिया, पृ.–07
3. वर्मा, बी. जी (2012), अंतरराष्ट्रीय कानून और जल संधियाँ. नई दिल्लीः सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, पृ.–104
4. शर्मा, आर. एस (2018), भारत की जल नीति और अंतरराष्ट्रीय समझौते, जयपुरः रावत पब्लिकेशन्स, पृ.–05
5. ब्रिस्को, जॉन (2010), जल सुरक्षा और दक्षिण एशिया. नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन्स, पृ.–13
6. अब्बास, हसन (2014), पाकिस्तान की जल राजनीति. इस्लामाबादः ऑक्सफोर्ड प्रेस, पृ.–12
7. विश्व बैंक (1960), सिंधु जल संधि. वॉशिंगटन डी.सी.ः विश्व बैंक प्रकाशन, पृ.–04
8. अग्रवाल, अनुज (2019), जलवायु परिवर्तन और हिमालयी नदियाँ. नई दिल्लीः ओरिएंट ब्लैकस्वान, पृ.–03
9. कुमार, अशोक (2017), भारत–पाक संबंधों में जल विवाद. नई दिल्लीः पीएचआई लर्निंग, पृ.–240
10. फारूक, उमर. (2020), जलवायु परिवर्तन और सिंधु नदी प्रणाली. लाहौरः यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ.–320
11. नायर, पी. आर. (2013), अंतरराष्ट्रीय नदी विवादः सिद्धांत और व्यवहार. चेन्नईः मैकमिलन इंडिया,101
12. मेहता, प्रकाश (2016), दक्षिण एशिया में संसाधन राजनीति. नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन्स, पृ.–32
13. हुसैन, इशरत (2015), पाकिस्तान की कृषि और जल संकट. कराचीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ.–11
14. सिंह, राकेश (2021), भारत की जलविद्युत परियोजनाएँ और अंतरराष्ट्रीय कानून. नई दिल्लीः यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, पृ.–10
15. चोपड़ा, कंचन (2014), सतत विकास और जल संसाधन प्रबंधन. नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन्स, पृ.–11
16. इंटरनेशनल वाटर लॉ एसोसिएशन. (2018). अंतरराष्ट्रीय जल कानून के सिद्धांत. हेगः IWL पब्लिकेशन्स, पृ.–2
17. भट्ट, संजय (2020), हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरणीय परिवर्तन देहरादूनः नटराज पब्लिशर्स, पृ0–34
18. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम. (2019), जलवायु परिवर्तन और सीमा–पार नदियाँ. जिनेवाः UNEPA, पृ.–56